



अंत्योदया-सरल



सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता नपुसंक भत्ता (योजना)

पात्रता:

1. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो।
2. हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी/हरियाणा का अधिवासी होना चाहिए और आवेदन प्रस्तुत करने के समय हरियाणा राज्य में रहते हुए 5 वर्ष हो चुके हो।
3. सिविल सर्जन से जारी नपुसंक होने का प्रमाण-पत्र।
4. किसी कानून विरुद्ध गतिविधि में शामिल नहीं हों।

अपवाद

सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने हेतु सरकारी अधिसूचना में "पेंशन" का अभिप्राय ऐसी आय की प्राप्ति अथवा अन्य स्रोत से आय व जिसमें योजनाएं शामिल हैं:

- * प्रोविडेंट फण्ड, अथवा
- * किसी भी स्रोत से आय में व्यवसायिक बैंक, वित्तीय संस्थान अथवा बीमा आदि शामिल है।

उपलब्ध लाभ:

1. रू0 2500/- प्रतिमास 01.04.2021 से लागू।

आवश्यक दस्तावेज:

1. सिविल सर्जन से जारी नपुसंक होने का प्रमाण-पत्र।
2. आय का प्रमाण पत्र।
3. निवास के सम्बन्ध में: आवेदन की तिथि से 5 वर्ष पूर्व जारी हरियाणा का अधिवास के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक:-
 - राशन कार्ड। (खादय एवं पूर्ती विभाग, हरियाणा)
 - मतदाता पहचान-पत्र। (निर्वाचन विभाग हरियाणा द्वारा जारी)
 - मतदाता सूची में आवेदक का नाम फोटो सहित। (निर्वाचन विभाग हरियाणा द्वारा जारी)



अंत्योदया-सरल



- उपरोक्त में से अगर आवेदक के पास कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, वह शपथ पत्र देंगे जिसकी वैरिफिकेशन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अन्य दस्तावेजों के आधार पर की जायेगी।
- 4 अन्य दस्तावेज
- आधार कार्ड (ऐच्छिक)
 - आवेदक का बचत बैंक खाता विवरण पास बुक की फोटो प्रति सहित।
 - आवेदक का परिवार पहचान पत्र।

नोट:- 60 वर्ष की आयु के पश्चात बौना भत्ता वृद्धावस्था सम्मान भत्ता में तबदील हो जायेगी।

सेवा के लिए फीसें:

सरकारी प्रभार	केन्द्र सेवा प्रभार	अटल सेवा केन्द्र सेवा प्रभार
कोई फीस नहीं	रु0 30 / -	रु0 30 / -

सेवा का अधिकार समय सीमा: 60 दिन।